

19/09/24

पत्रावली अधिवक्ता वादिनी द्वारा प्रस्तुत
पार्शना - पत्र पर पेश हुई। अधिवक्ता
वादिनी की ओर पार्शना - पत्र पेश
कर वादिनी एवं प्रतिवादीगण के
मध्य राजीनामा होने से यह वाद -
पत्र खारिज जरिए राजीनामा विद्देशी
करने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं रिकॉर्ड तथा
पार्शना - पत्र अवलोकन बाद न्यायक्ति
में पार्शना - पत्र स्वीकार किया जाकर
वाद - पत्र जरिए राजीनामा विद्देशी
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नंबर
से कम हो।

19/09/2024
सहायक कालक्टर
(SDO), बाड़मेर



सेवामें.